

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-12/कारा) विभाग

क्रमांक : प.1(3)गृह-12/कारा/2018

जयपुर, दिनांक : 20-06-2018

आदेश

राजस्थान कारागार सेवा नियम 1959 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14-06-2018 में पूर्व में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2015-16 हेतु आयोजित नियमित डीपीसी की रिव्यू डीपीसी एवं वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की नियमित डीपीसी हेतु की गयी अभिशंषा के आधार पर राजस्थान कारागार सेवा में अधीक्षक ग्रेड-II से निम्नांकित अधिकारियों का वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके सामने अंकित चयन वर्ष में राजस्थान कारागार सेवा में अधीक्षक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्री शंकर सिंह	2009-2010	सेवानिवृत्ति दिनांक 30-09-2017
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह	2009-2010	
3.	श्री विक्रम सिंह कर्णावत	2010-2011	
4.	श्री कैलाश त्रिवेदी	2013-2014	
5.	श्री संजय यादव	2014-2015	
6.	श्रीमती मोनिका अग्रवाल	2014-2015	
7.	श्रीमती सुमन मालीवाल	2014-2015	
8.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	2014-2015	सेवानिवृत्ति दिनांक 31-08-2014
9.	श्री सुधीर प्रकाश पुनिया	2015-2016	
10.	श्री कृष्ण गोपाल शर्मा	2015-2016	स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 01-08-2015
11.	श्री अशोक कुमार वर्मा (अजा)	2015-2016	
12.	श्री राकेश मोहन शर्मा	2015-2016	
13.	श्री राजेन्द्र कुमार (अजा)	2016-2017	
14.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	2017-2018	

उक्त अधिकारियों को पदोन्नति हेतु चयन वर्ष में उपलब्ध रिक्ति की तिथि से पदोन्नति का नोशनल लाभ देय होगा एवं अधीक्षक ग्रेड-I कारागार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक लाभ देय होगा।

(कैलाश चन्द)
शासन उप सचिव,
गृह विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह एवं कारागार मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, गृह विभाग।
8. पुलिस आयुक्त, जोधपुर/जयपुर
9. संभागीय आयुक्त/महानिरीक्षक पुलिस रेंज
10. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक
11. सम्बन्धित अधिकारी
12. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (समन्वय) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग